थाती शोध पत्रिका
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN(O) : 2584-2722
वर्ष 1, अंक 2, जनवरी - मार्च 2024
Online Available : https://thati.net/

भारत में पर्यावरण संरक्षण : विधिक और सामाजिक पहलू

प्रहलाद सिंह अहलूवालिया, संपादक, शोध प्रकाशन, हिसार, हरियाणा

मेल आई डी : ahluwalia002@gmail.com

परिचय

भारत एक विशाल और विविध पारिस्थितिक तंत्र से भरा देश है, जहाँ जैव विविधता और पारिस्थितिकीय असंतुलन से जुड़ी समस्याएँ अत्यंत गंभीर हैं। पर्यावरण संरक्षण इस देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वर्तमान समय की आवश्यकता बन चुका है। इस शोध आलेख में, हम भारत में पर्यावरण संरक्षण के विधिक और सामाजिक पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे, ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता और चुनौतियों का मूल्यांकन किया जा सके।

विधिक पहलू

1. संविधान और पर्यावरण संरक्षण

भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि "राज्य वनों और वन्य जीवन के संरक्षण तथा पर्यावरण के सुधार के लिए प्रयास करेगा।" इसके साथ ही अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का निर्देश देता है। इन प्रावधानों ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के कानूनी ढांचे की नींव रखी।

2. प्रमुख विधायन और नीतियां

- भारतीय वन अधिनियम, 1927: इस अधिनियम का उद्देश्य वनों की रक्षा और उनका प्रबंधन करना है। यह कानून वनों के अधिग्रहण, उपयोग, और संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है।

- वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981: यह अधिनियम वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है। इसके तहत वायु प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी और नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

- जल (प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन) अधिनियम, 1974: इस अधिनियम का उद्देश्य जल स्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करना और जल गुणवत्ता को सुधारना है।

थाती शोध पत्रिका
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN(O) : 2584-2722
वर्ष 1, अंक 2, जनवरी - मार्च 2024
Online Available : https://thati.net/

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदान करता है। इसके तहत पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

3. न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं। Rural litigation and entitlement kendra v. State of U.P. मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिए और पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता दी।

सामाजिक पहलू

1. जन जागरूकता और शिक्षा

पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता और शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। भारत में कई गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक पहलों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं। "स्वच्छ भारत अभियान" और "नमामि गंगे" जैसे कार्यक्रम पर्यावरणीय सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। शिक्षा प्रणाली में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करना आवश्यक है ताकि युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके।

2. स्थानीय समुदायों की भूमिका

स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण समुदाय, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाएँ पर्यावरण के प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। "Chipko Movement" जैसे आंदोलनों ने वनों की रक्षा के लिए समुदायों को एकजुट किया और पर्यावरणीय सक्रियता को बढ़ावा दिया।

3. सामाजिक चुनौतियाँ

- विकास और पर्यावरण: भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया ने पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाया है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अवैध खनन, वनों की कटाई, और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे इस चुनौती को और बढ़ाते हैं।

- सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ: पर्यावरणीय समस्याएँ अक्सर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं। इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है, ताकि सभी वर्गों को समान रूप से पर्यावरणीय लाभ मिल सके।

थाती शोध पत्रिका
अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक सहकर्मी-समीक्षित, ओपन एक्सेस शोध पत्रिका
ISSN(O) : 2584-2722
वर्ष 1, अंक 2, जनवरी - मार्च 2024
Online Available : https://thati.net/

विधिक और सामाजिक पहलुओं के समन्वय की आवश्यकता

विधिक और सामाजिक पहलुओं के समन्वय से ही प्रभावी पर्यावरण संरक्षण संभव है। नीतिगत सुधार, न्यायिक निर्णय, और सामाजिक जागरूकता के समन्वय से पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। विधिक ढांचे को मजबूत करना और समाज में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारत में पर्यावरण संरक्षण एक जटिल और बहुपरकारी मुद्दा है, जिसमें विधिक और सामाजिक पहलुओं का समन्वय आवश्यक है। संवैधानिक प्रावधान, विधायन, और न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ जन जागरूकता और स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। केवल इन पहलुओं के समन्वय से ही पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान संभव है और एक सतत भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ

1. भारतीय संविधान

2. भारतीय वन अधिनियम, 1927

3. वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981

4. जल (प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन) अधिनियम, 1974

5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

6. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और अन्य न्यायिक दस्तावेज